IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजनांदगांव नगर निगम के चुनाव में आदर्श आचार सहिंता के पालन का अध्ययन

मनोज कुमार, डॉ श्रीमति बी एन मेश्राम, डॉ आयशा अहमद

शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) सेठ आर.सी.एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जिला – दुर्ग (छ.ग.)

शोध निर्देश प्राचार्य शास. डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव जिला – राजनांदगांव (छ. ग.)

शोध सह–निर्देशक सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) सेठ आर.सी.एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जिला – दुर्ग (छ.ग.)

सारांश : प्रस्तुत शोध कार्य में सामान्य सारणी पद्धति एवं रेखा चित्रों के माध्यम से प्राथमिक समंक का विश्लेषण नगरीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता के पालन के संदर्भ किया गया है। शोध में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि इन चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया गया है अथवा नहीं। शोध में दर्शाया गया है कि कुछ बिन्दुओं पर नगरीय निकाय चुनावों में आधार आचार संहिता का पालन नहीं किया गया है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव आयोजन में नियोजन की कमियों को दर्शाता है। शोध के अंत में इन कमियों को कम करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रस्तावना : राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व होता है कि वह नगरीय निकाय चुनावों को एवं ग्राम स्तर पर पंचायत चुनावों को आयोजित करवा कर भारत की आत्मा जिसे लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है को सुरक्षित रखे और भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के रूप में स्थापित रखे। चुनाव नियोजन के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की विभिन्न ज़िम्मेदारी होती है । इनमें वोटर लिस्ट निर्माण करना, मास्टर रोल निर्माण, वोटिंग बूथ को अंकित करना, मतदान अधिकारी एवं उसकी टीम को प्रशिक्षण प्रदान करना इत्यादि। मतदान के दिन के लिए इन सभी तैयारियों को पूर्ण करने से भिन्न सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि चुनाव में जो प्रत्याशियों ने नामांकन किया है वह सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। चुनावों में प्रचार से लेकर प्रचार पर रोक लगने तक एवं परिणामों की घोषणा होने के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशासनिक शक्तियों के हस्तांतरण तक आचार साहिता प्रत्याशी से लेकर अधिकारियों तक के आचरण को निर्धारित करती है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो । आचार संहिता का पालन न होना चुनावों के आयोजनों को सुनियोजित नहीं होने देगा एवं चुनाव निष्पक्ष न होकर ध्रुवीकरण चुनावों के रूप में उभरेगा जो कि सीधे रूप से भारतीय जनतंत्र की हत्या होगी। चुनावों में समाचार पत्र, टीवी तथा इंटरनेट मीडिया के माध्यमों से एवं पुलिस उपालम्भ के माध्यम से आचार संहिता के उलंघन की घटनाएँ दृष्टिगत होती रहती हैं। इन सूचनाओं के स्रोत मुख्य रूप से वार्ड निवासी मतदाता होते हैं

जो कि उलंघन के साक्ष्य होते हैं । ऐसी स्थिति में जब कि पिछले कुछ चुनावों से प्रत्याशियों के मध्य हार और जीत का अंतर कम होता चला जा रहा है आचार संहिता का उलंघन कर वोटों को अपनी ओर ध्रुवीकरण कर चुनावों के रुझानों को अपनी ओर करना जनतंत्र के लिए हानिकारक है। प्रस्तुत शोध कार्य राजनांदगांव नगर पालिका निगम के चुनावों के संदर्भ में यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजित करने में आचार साहिता के पालन करवाने पर कहाँ कहाँ त्रुटि कर रहा है और इसे किस प्रकार से सुनियोजित कर सुधारा जा सकता है।

अध्ययन पद्धति: प्रस्तुत शोध कार्य के लिए प्राथमिक समंक प्रयोग में लाये गए थे। प्राथमिक समंक को प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया गया था। प्रश्नों के उत्तर राजनांदगांव नगर पालिका निगम के चुनावों में मतदान किए मतदाताओं से एकत्रित किए गए थे जिन्हें दैव निर्देशन पद्धति के माध्यम से चयनित किया गया था। शोध कार्य के लिए न्यादर्श का आकार 100 मतदाताओं तक सीमित रखा गया था। आंकड़ों के विश्लेषण को सामान्य सारणी पद्धति के माध्यम से किया गया है।

उद्देश्य :प्रस्तुत शोध कार्य में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित नगरीय निकाय चुनावों में विशेष रूप से नगर पालिका निगम के चुनावों में पार्टियों एवं उनके प्रत्याशियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन का अध्ययन।

परिकल्पना : राजनांदगांव जिले में नगर पालिका निगम के चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा आधार आचार संहिता का उलंघन नहीं हुआ है।

शोध विश्लेषण: प्राथमिक समंक के आधार पर एकत्रित आंकड़ों को तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। शोध कार्य में राजनांदगांव जिले में हुए नगर पालिका निगम के चुनावों के आयोजनों में आदर्श आचार सहिंता के पालन से संदर्भित प्रश्नों के जो उत्तर मतदाताओं से प्राप्त हुए का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ।

प्रश्न 1 से 6 तक के प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण

क्र.	प्रश्न	उत्तरदाताओं का प्रतिशत %		
		हाँ	कहा नहीं जा सकता	नहीं
1.	क्या आपके वार्ड में जाति अथवा समुदाय विशेष के मतों को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया है।	29	22	49
2.	क्या आपके वार्ड में प्रचार बंद होने के पश्चात भी प्रचार होता है	39	21	40
3.	क्या एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का प्रचार का पोस्टर हटाया है	11	59	30
4	क्या एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के प्रचार को अवरूद्ध करते है	14	26	60
5.	क्या आपके वार्ड में वोटों के लिए	41	32	27

	नगद अथवा वस्तुओं को भेंट किया गया है			
6.	क्या आपके वार्ड मे चुनाव से पूर्व नगद शराब वितरण हुआ है	52	25	23

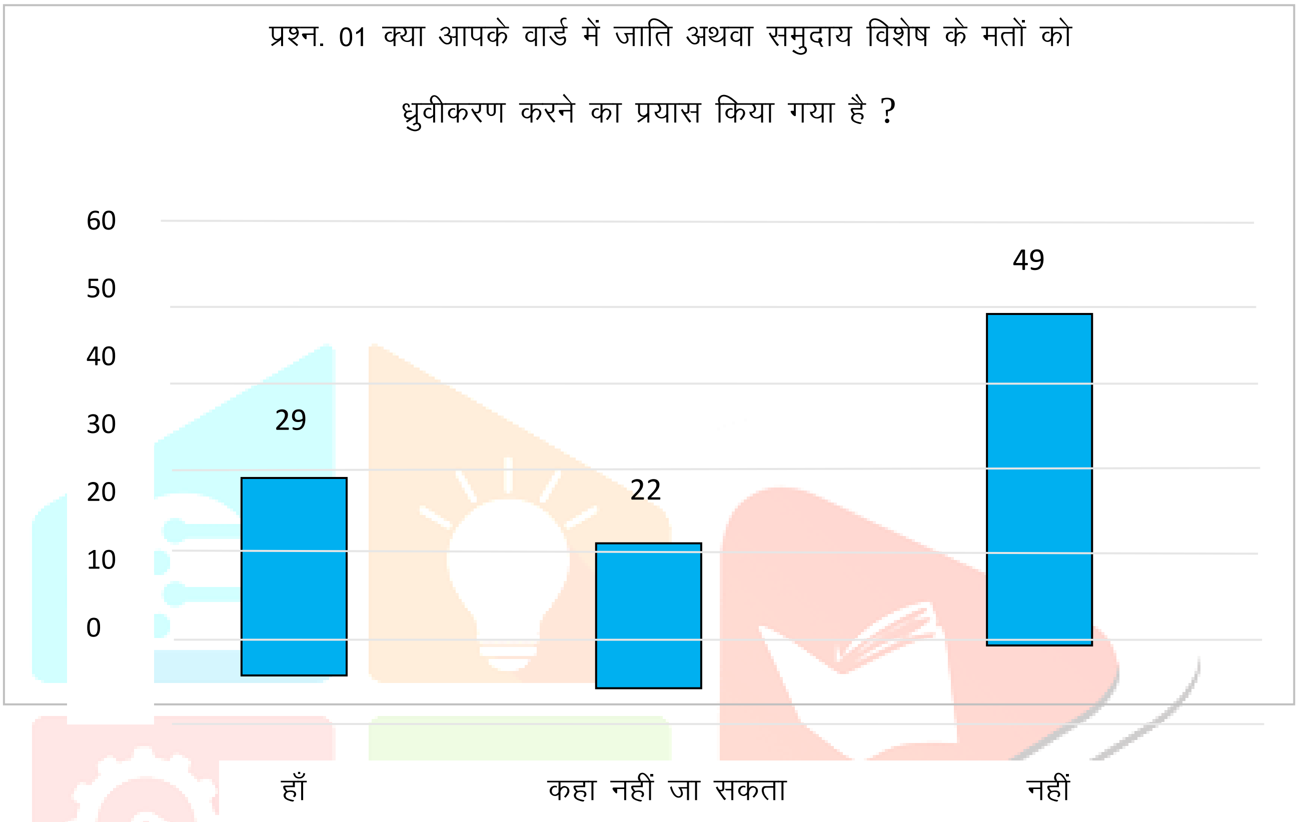

चित्र क्रमांक 1

विश्लेषण – शोध कार्य में 29 प्रतिशत मतदाताओं ने संभवतः हाँ में उत्तर दिया, 22 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा नहीं जा सकता मे उत्तर दिया वहीं 49 प्रतिशत मतदाताओं ने अंकित किया कि उनके वार्ड में ऐसा नहीं किया गया है।

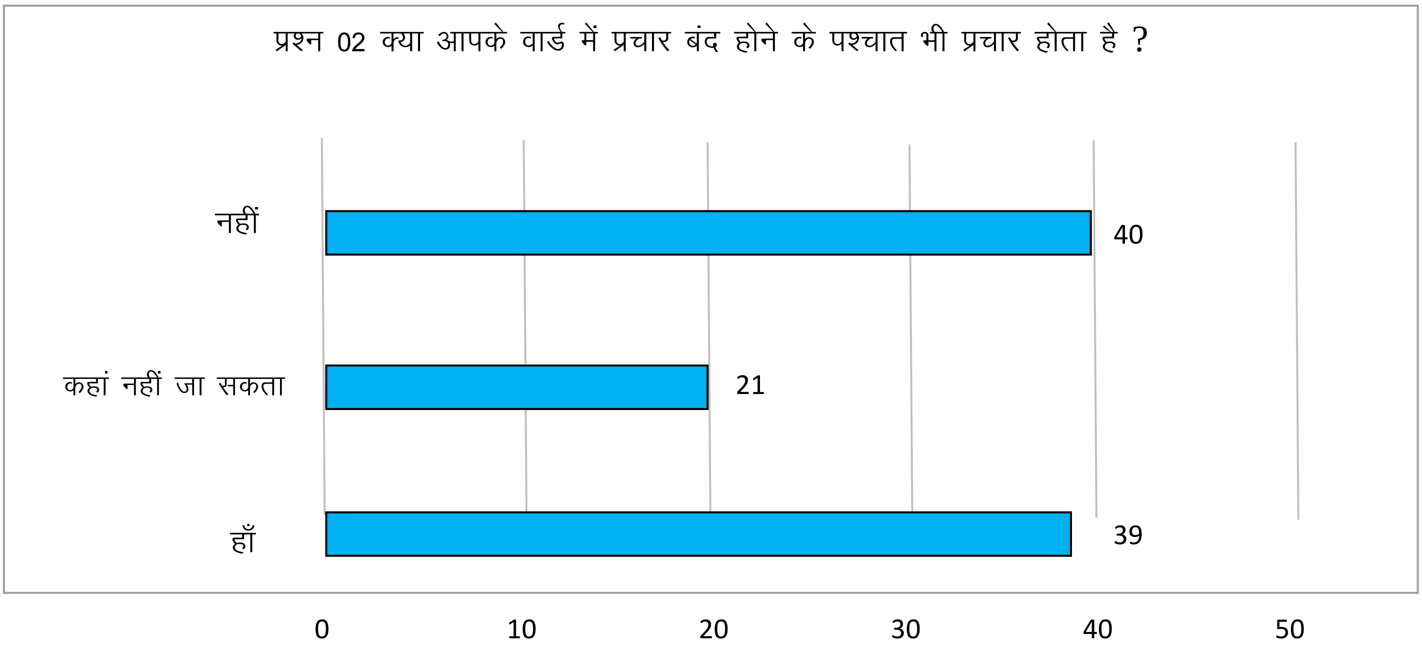

चित्र क्रमांक 2

विश्लेषण – शोध कार्य में 39 प्रतिशत मतदाताओं ने संभवतः हाँ में उत्तर दिया, 21 प्रतिशत मतदाताओं ने कहां नहीं जा सकता में उत्तर दिया वहीं 40 प्रतिशत मतदाताओं ने अंकित किया कि उनके वार्ड में ऐसा नहीं किया गया है।

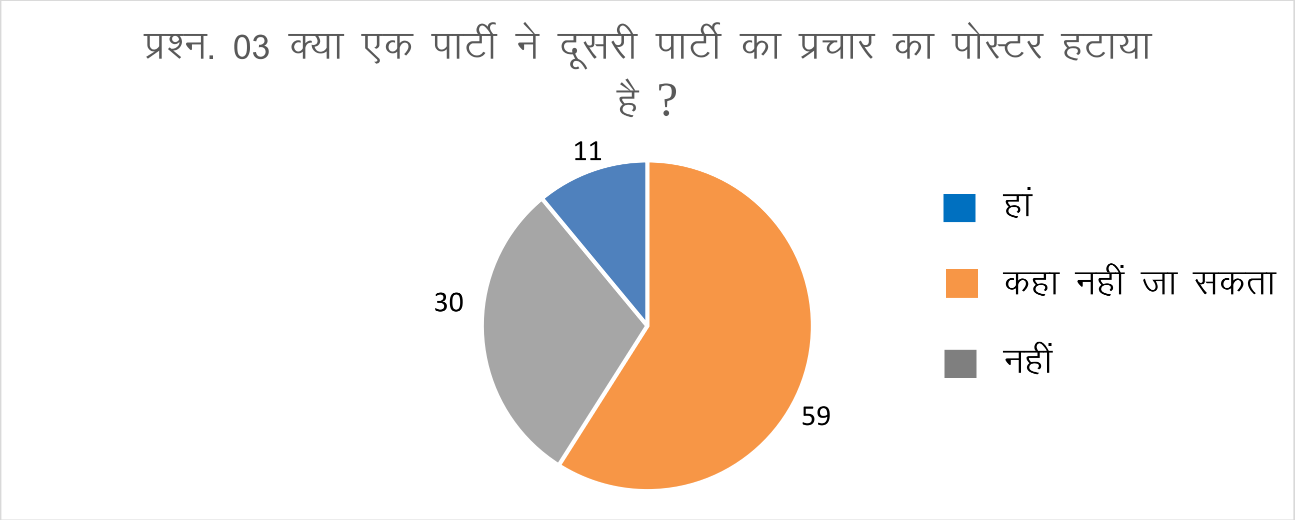

चित्र क्रमांक 3

विश्लेषण – शोध कार्य में 11 प्रतिशत मतदाताओं ने संभवतः हाँ में उत्तर दिया, 59 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा नहीं जा सकता में उत्तर दिया वहीं 30 प्रतिशत मतदाताओं ने अंकित किया कि उनके वार्ड में ऐसा नहीं किया गया है।

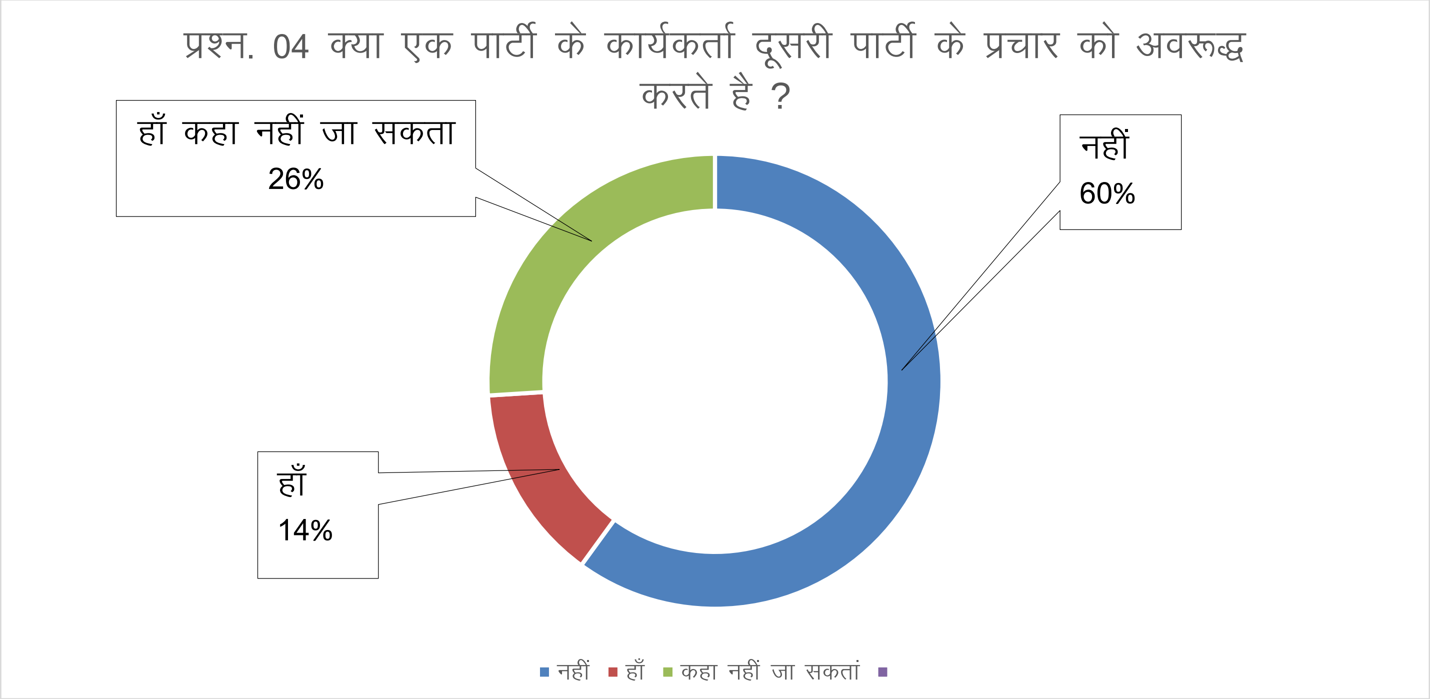

चित्र क्रमांक 4

विश्लेषण – शोध कार्य में 14 प्रतिशत मतदाताओं ने संभवतः हां में उत्तर दिया, 26 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा नही जा सकता में उत्तर दिया वहीं 60 प्रतिशत मतदाताओं ने अंकित किया कि उनके वार्ड में ऐसा नही किया गया है।

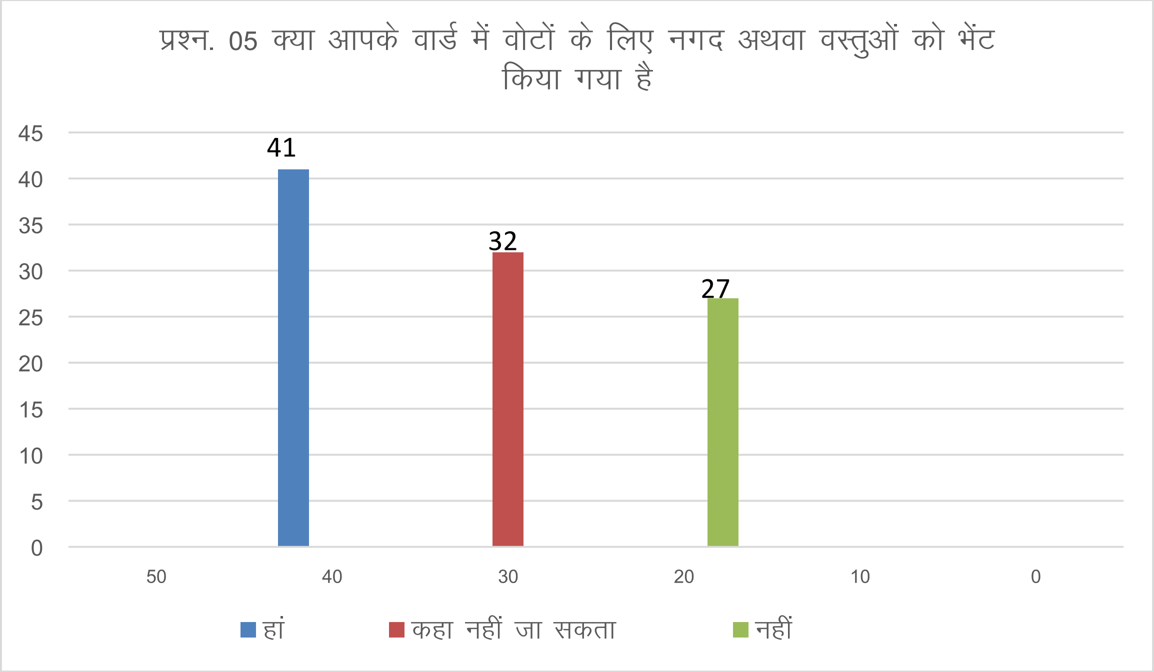

चित्र क्रमांक 5

विश्लेषण – शोध कार्य में 41 प्रतिशत मतदाताओं ने संभवतः हाँ में उत्तर दिया, 32 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा नहीं जा सकता में उत्तर दिया वहीं 27 प्रतिशत मतदाताओं ने अंकित किया कि उनके बोर्ड में ऐसा नहीं किया गया है।

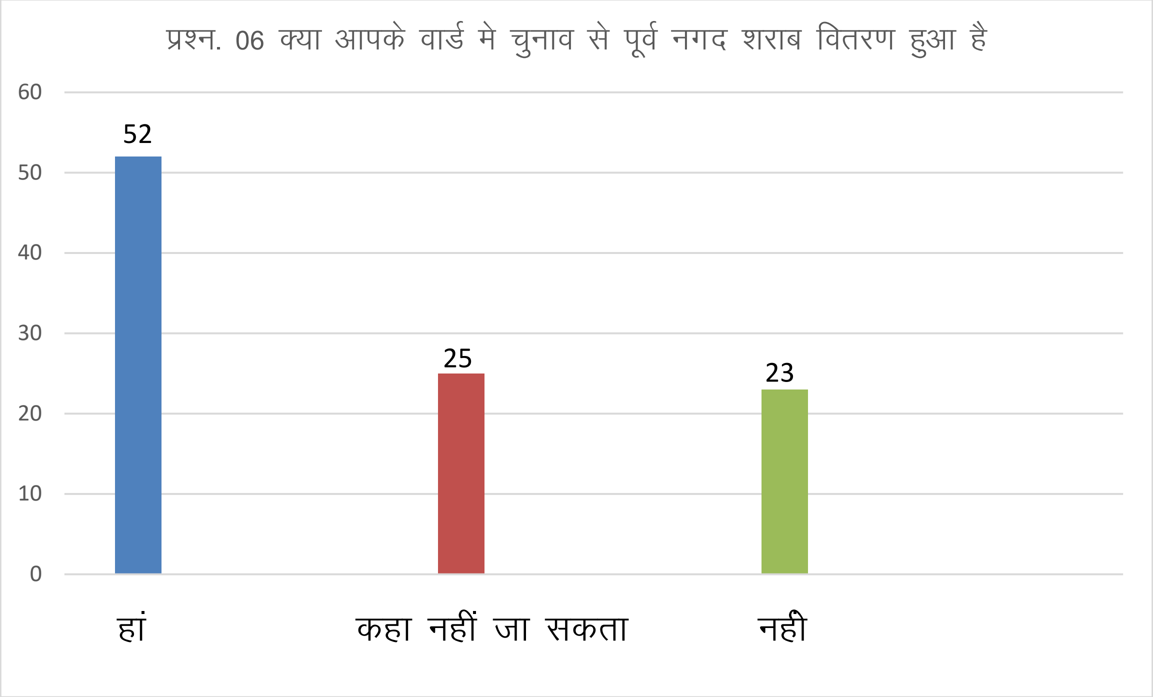

चित्र क्रमांक 6

विश्लेषण – शोध कार्य में 52 प्रतिशत मतदाताओं ने संभवतः हाँ में उत्तर दिया, 25 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा नहीं जा सकता में उत्तर दिया वहीं 23 प्रतिशत मतदाताओं ने अंकित किया कि उनके वार्ड में ऐसा नहीं किया गया है।

शोध निष्कर्ष : राज्य निर्वाचन आयोग की सर्वप्रथम ज़िम्मेदारी होती है कि वह जनतंत्र की रक्षा करते हुए निकाय चुनावों को निष्पक्ष कराये। इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है जिसे सभी वार्ड के प्रत्याशियों को एवं उनसे संबन्धित चुनावी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पालन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब कि आदर्श संहिता का पालन उचित रूप से नहीं होगा तब तक यह स्पष्ट रूप से नहीं कहाँ जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों को निष्पक्ष एवं नियोजित रूप से आयोजित किया। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर राजनांदगांव के नगर पालिका निगम 2019 के चुनावों के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि –

प्रमुख सुझाव :

1. राजनांदगांव नगर पालिका निगम के चुनावों में जाति आधारित प्रचार नहीं किया जाता है। यह निगम क्षेत्र हिन्दू प्रधान क्षेत्र है विशेष रूप से यहाँ व्यवसायी समुदाय के मारवाड़ियों एवं राजस्थानी ब्राह्मण समाज की जनसंख्या प्रमुखता से है ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि प्रत्याशी इन समुदाय विशेष को अपनी ओर ध्रुवीकरणकरने हेतु जाति आधारित प्रचार करें और जीतने का प्रयास करें अपितु राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को नियोजित करने में एवं चुनावों में से धर्म को दूर रखने में सक्षम रहा।

2. निगम चुनावों में मतदाताओं ने दृष्टिगत कराया कि प्रत्याशियों ने दूसरे प्रत्याशियों की आलोचना की है जो कि आचार साहिता के अनुकूल नहीं है अतः निर्वाचन आयोग को इस ओर ध्यान प्रदर्शित करना चाहिए।

3. विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रचार बंद होने के पश्चात भी प्रत्याशी प्रचार करने में सक्षम थे। प्रत्याशियों ने अपने विशेष साथी का पोस्टर लगाया के एवं पोस्टर पर से चुनाव चिन्ह को हटा के प्रचार किया। जनता प्रत्याशी के विशेष व्यक्ति को संभवतः जानती है एवं उससे प्रत्याशी को जोड़ लेती है अतः निर्वाचन आयोग प्रचार बंद के आदेश के बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार पर अंकुश लागने में सक्षम प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है।

4. विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वोट के लिए नगद, मदिरा एवं वस्तुओं को वितरित किया गया है। इन सभी वस्तुओं का वितरण निष्पक्ष चुनावों के नियोजन में बाधा है। बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं का यह मानना कि नोट, मदिरा एवं वस्तुओं का वितरण उनके वार्ड में चुनाव मतदान के पूर्व हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव नियोजन में त्रुटि को दर्शाता है।

5. शोध कार्य के माध्यम से यह सुझाव प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार साहिता को लागू करवाने के लिए विशेष तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आयोग चाहे तो सामाजिक अभियांत्रिकी की सहायता लेते हुए कार्य कर सकता है। जनता मोबाइल फोन के ऐप के माध्यम से तथ्यों एवं सबूतों के साथ आचार साहिता संबन्धित शिकायताओं को दर्ज करा सकती है। इससे चुनाव और अधिक पारदर्शी एवं नियोजित होंगे।

संदर्भ सूची

1. Municipal Council Elections in Maharashtra: A Data Analysis (1994-2013), Rajas Parchure, Manasi Phadke and Dnyandeo Talule, Gokhale Institute of Politics and Economics, October 2016
2. Socio-Economic Classification 2011: The new SEC system, The Market Research Society of India and Media Research Users' Council, 3rd May 2011,
3. Municipal Council Elections in Maharashtra: A Data Analysis (1994-2013), Chapter 3, pg 81, ajas Parchure, Manasi Phadke and Dnyandeo Talule, Gokhale Institute of Politics and Economics, October 2016
4. A Code of Ethics or Code of Conduct for political parties as a potential tool to strengthen electoral democracy in Canada, A Discussion Paper on the Advantages an Disadvantages of a Code, Dr. Paul G. Thomas, Professor Emeritus, Political Studies, University of Manitoba, December 2014